भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1599

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2024

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

1599. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में एमएएनएफ की प्रभावशीलता और प्रभाव का मूल्यांकन किया है, जिससे इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार UGC और CSIR की JRF योजना की तर्ज पर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना लागू कर रहा है। UGC और CSIR अध्येतावृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत भी शामिल किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के बीच ओवरलैप को देखते हुए - मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को 2022-23 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रशिक्षुओं को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, उनके संबंधित प्रशिक्षणकाल के अंत तक अध्येतावृत्ति प्राप्त होती रहेगी।

*****